

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 जून 2017 — आषाढ 1, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-10- 40/2017/वाक/पांच(62). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा, 22 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 10, धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 139, धारा 146 और धारा 164 के उपबंध लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच(62), दिनांक 21-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 21st June 2017

#### NOTIFICATION

No. F-10- 40/2017/CT/V (62). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby appoints the 22<sup>nd</sup> day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच(63). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, रजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणों को प्रस्तुत करने, समेकित कर के संगणना और समाधान, इलैक्ट्रोनिक माध्यम से वे-बिल के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) को अधिसूचित करती है।